

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, पकड़ीदयाल।

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर पंचायत, पकड़ीदयाल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड बुनियादी सेंटर के बगल में पार्क का निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹177.85300 (एक करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार तीन सौ ₹०) मात्र योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर पंचायत, पकड़ीदयाल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड बुनियादी सेंटर के बगल में पार्क का निर्माण कार्य हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, पकड़ीदयाल के पत्रांक-201 दिनांक-25.03.2025 द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया। उक्त प्राक्कलन का तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹177.85300 (एक करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार तीन सौ ₹०) मात्र है।

2. अतएव कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना को स्तम्भ-4 में अंकित राशि ₹177.85300 (एक करोड़ सतहत्तर लाख पचासी हजार तीन सौ ₹०) मात्र के अनुमानित लागत व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)				
क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	नगर पंचायत, पकड़ीदयाल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड बुनियादी सेंटर के बगल में पार्क का निर्माण कार्य।	177.85300	177.85300

3. नगर पंचायत, पकड़ीदयाल क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड बुनियादी सेंटर के बगल में पार्क का निर्माण कार्य हेतु योजना की स्वीकृति पर दिनांक-27.03.2025 को सम्पन्न स्थायी वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-3919 दिनांक-28.03.2025 द्वारा अनुशंसा एवं सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. (i) योजना का क्रियान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से नगर पंचायत, पकड़ीदयाल द्वारा कराया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण द्वारा समय-समय पर योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन किया जायेगा।

(iii) जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कमतौल अहियारी यह आश्वस्त हो लेंगे कि इस योजना का दोहरीकरण ना हुआ हो।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/ना0सु0-8-18/2025

467

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-31/3/25

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकाय को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02, 06 एवं 04, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव। 31/3/25

* ई-मेल

पत्रांक-04/ना0सु0-8-09/2025

/न०वि०एवंआ०वि०

स्पीड पोस्ट/निबंधित

डाक

sh\sanction order.docx

23